


आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
-------------------------------	--------------------------------	--


03/09/21

अभिलेख उपस्थापित।
 अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार कादल उरांव पिता रफेल उरांव को खास नोटिस निर्गत करें।
 अभिलेख दिनांक 14/09/21 को उपस्थापित करें।


 अंचल अधिकारी,
 कुरडेग।

14/09/21

अभिलेख उपस्थापित।
 खास नोटिस का तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त। पुनः संबंधित रैयत वो खास को नोटिस निर्गत करें।
 अभिलेख दिनांक 26/11/21 को उपस्थापित करें।


 अंचल अधिकारी,
 कुरडेग।

26/11/21


अभिलेख उपस्थापित।
 अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार कादल उरांव पिता रफेल उरांव को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो संलग्न है। निर्गत खास नोटिस संबंधित जमाबन्दीदार का अज्ञात होने के कारण तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त है।
 राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी-II में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है।
 राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम बड़की बिठरा खाता संख्या 404/33 प्लॉट संख्या — सर्वे खतियान में किस्म — दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 6144/रा0, दिनांक- 21.12.2017 के कड़िका- 5 के उप कड़िका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितकरण योग्य नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक ने अनियमित करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नाम कादल उरांव पिता रफेल उरांव ग्राम बड़की बिठरा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-


क्र0सं0	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा
1	2	3	4	5	6
1	<u>बड़की बिठरा</u>	<u>02</u>	<u>404/33</u>	<u>—</u>	<u>1.00 ए0</u>

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आलोक में मैं स्वयं उक्त ग्राम जाकर जांच किया, ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इस नाम का आदमी इस ग्राम में कभी नहीं रहा है।

अतः विभागीय पत्रांक- 2074/रा0, दिनांक- 13.05.2016, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 1704/रा0, दिनांक- 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के आधार पर उपरोक्त जमाबन्दी को निरस्त करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सिमडेगा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित


 अंचल अधिकारी,
 कुरडेग।


 अंचल अधिकारी,
 कुरडेग।